फर्द अहकाम

छीतर बनाम कजोड वगै0

...ना पत्र संख्या:40 / 2020

...ख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.04.2024	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु प्रस्तुत हुई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खसरा नम्बर 585 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 604 से प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाये जावें व राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता अंकित करने के आदेश प्रदान किये जावें। दौराने बहस अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 594 व 546 में निवास कर रहे है। तथा खसरा नम्बर 594 व 546 तक आने के लिये अजमेर रोड से दो सडके आ रही हैं। खसरा नम्बर 594 सरकारी भूमि है के लगवा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 584 है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 604 में से होकर कभी भी आवगमन नहीं रहा है। प्रार्थीगण का रास्ता वतर्मान में चालू है फरवरी 2020 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य रास्ते को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है इस कारण कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता व पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 585 में आने जाने के लिये अन्य रास्ता खसरा नम्बर 586 रकबा 0.03 गै.मु चाह मौजुद है अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 604 से रास्ता दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:18:08 IST
Reason: SelfAttested